संख्या-08/2015/828/44-1-2015-99/2008

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ -दिनांक - 06 नवम्बर, 2015

विषय- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-300/44-1/2010-99/2008 दिनांक 25 मई 2010 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को देय वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है ।

2- विकलांग कल्याण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1326/65-1-2014-380/96 दिनांक 13 नवम्बर 2014 द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है । इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को अनुमन्य होगा जहॉं शासकीय कर्मियों के लिये दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य हो चुकी हो तथा उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को,जो शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) /नेत्रहीन हैं, अपनी डयूटी के स्थान पर आने तथा वापस जाने हेतु स्तम्भ -3 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से विकलांग कल्याण अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर, 2014 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन अनुमन्य होगा -

क्र0सं0	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेडवेतन	प्रस्तावित वाहन प्रतिपूर्ति भत्ते की संशोधित दर (रूपये प्रतिमाह)
1	2	3
1-	रू0 1800 तक	रू0 450-00
2-	रू0 1900 से 2800 तक	रू0 600-00
3-	रू0 4200 एवं अधिक	रू0 750-00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- सार्वजनिक उपक्रम/निगम उक्त व्यय भार को अपने संसाधनों से वहन करेंगे ।

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-08/2015/828(1)/44-1-2015 -99/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,लेखा परीक्षा द्वितीय,उ0प्र0, लखनऊ ।

2- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित शासन के प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव ।

3- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो , जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मुरारी लाल)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।